समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क /2015 पुनर्विलोकन रिव्यू 314-I-15

(16)

1. श्रीमती दुर्गाबाई पति श्री छोटेलाल जी गवली , निवासी 83 गैशाला रोड रतलाम
2. मंगीलाल पिता मियांचद जी भील
3. नंदराम पिता गंगाराम जी भील
4. नाथू पिता गंगाराम जी भील
5. प्रकाश पिता गंगाराम जी भील मृतक वारिसान
   1. श्रीमती दुर्गाबाई पति प्रकाश
6. श्रीमती गगावाई पति स्व0 गंगाराम जी भील
7. श्रीमती पुंजलीबाई पिता स्व0 मियांचद जी भील समस्त निवासीयान –ग्राम हरथली तहसील व जिला रतलाम म.प्र.।

.........आवेदकगण

श्री सुनील सिंह जादौन अभि० द्वारा आज दि. 7.12.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.

............अनावेदकगण

7/12/15

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व सहिता , 1959 , न्यायालय राजस्त मण्डल म.प्र. ग्वालियर (प्रशासकीय सदस्य माननीय मनोज गोयल साहव) के प्रकरण क 1480/एक/2011 मे पारित आदेश दिनांक 2.9.2014 को पूर्वविलोकन वावत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क 146/निगरानी/2010–11 मे पारित आदेश दिनांक 03.8.2011 के विरूद्ध

(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला रतलाम

प्रकरण क्रमांक रिव्यु–314–एक / 2015

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–04–15	आवेदक अधिवक्ता श्री सुनीलसिंह जादौन उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से श्री डी0के0शुक्ला पेनल लॉयर उपस्थित। उन्हें रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1480–एक / 2011 में पारित आदेश दिनांक 2–9–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	